IrshadManji.com

PROJECT IJTIHAD

ईमाम खलील मुहम्मद अन्तर धर्म विवाह के पक्ष में

‘जिस सुरा का प्रयोग कर ईमाम लोग सामान्यतः अन्तर धर्म विवाहों को रोकते हैं वह है 5:5 जिसमें कहा गया है : ‘आज से सभी अच्छी चीजें तुम्हारे लिये जायज हैं......जिन लोगों को तुम से पहले किताब दी जा चुकी है, उनमें से सभी पवित्र औरतें तुम्हारे लिये जायज हैं । रूढ़िवादी ईमाम कहते हैं कि क्योंकि यह औरतों के लिये कहा गया है और मर्दों के लिये नहीं तो सही यह है कि मुसलमान औरतों और गैर मुसलमान मर्दों के बीच विवाह वर्जित है ।

यही समस्या है । तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार कुरान मर्दों के लिये लिखी गयी है। इसीलिये कुरान कहती है – उदाहरण के लिये, ‘और जब तुम अपनी पत्नियों को तलाक दो .... (2:231) या ‘रमजान के महीने में तुम अपनी पत्नियों के साथ सम्भोग कर सकते हो’ (2:187) । क्या मतलब तत्कालीन मान्यतायें ?? कबायली मान्यताओं के अनुसार एक औरत शादी के बाद पति को स्वामी मानती है, और पति अपने कबीले के सरदार का धर्म अपनाता है ।

इस वास्तविकता को लेकर , मुसलमान विचारकों के लिये बहुत सी समस्यायें खड़ी हो गयीं। एक थी जहां मुसलमान गैर मुस्लिम पैगम्बरों को मान्यता देते है, वहां अन्य एक आराध्य को मानने वाले धर्म मुहम्मद का सम्मान नहीं करते और इससे मुसलमान औरत की समस्या होती है कि उसके पैगम्बर का सम्मान नहीं होगा । और समस्या थी कि ईसाइ ईशू को भगवान मानते हैं और मुसलमान किसी मानव को भगवान मान नहीं सकते – फिर ऐसे विवाहों से उत्पन्न बच्चों की समस्या जो कि गृहस्वामी का धर्म सामान्यतः अपनायेंगे ।

ध्यान रहे कि ये सब ‘समस्याय ` ं ’ यह मान कर चलती हैं कि औरत अपने गैर मुस्लिम पति का धर्म अपनायेगी – परन्तु आज ऐसा नहीं है । हम आधुनिक काल में जी रहे हैं ।

निश्चय ही अधिकतर मुसलमान कहेंगे कि कुरान हर समय के लिये सत्य है परन्तु कुरान हर ऐसी मुस्लिम औरत से सहानुभूति रखती है जो गैर मुस्लिम पुरु ा से विवाह करना चाहती है।

यदि वह ईसाइ हो तो ....

यह कहते हुए कि ईसाइ होते हैं जो ईशु को भगवान मानते हैं , कुरान इसे कुफ्र कहती है (कृतघ्नता) न कि ‘शिर्क’ (बहुदेववाद) । यह महत्वपूर्ण अन्तर है कयोंकि एक अन्य पक्ति में कुरान यह भी कहती है कि जो ईसाइ अच्छे काम करते हैं वे स्वर्ग जा

सकते हैं । जब ईसाइ मान्यतायें पुरु ा और स्त्री के लिये समान हैं तो कुरान ईसाइ औरत से विवाह करने की अनुमति कैसे दे सकती है और ईसाइ पुरु ा से नहीं ???

यदि वह हिन्दू हो तो ....

उपरोक्त बहुत कुछ हिन्दूओं के लिये भी सच है । ध्यान रखना होगा कि कुरान तो अरबी क्षेत्र में दी गयी थी और उन ही धर्मों के बारे में मत व्यक्त किया जिन्हें वहां के लोग जानते थे । परन्तु कुछ ज्ञानियों का कहना है कि ''अहल अल किताब'' का मतलब '' किताब वाले लोग'' गलत है। वह होना चाहिये ''शास्त्रों वाले लोग'' – अर्थात कोइ भी धर्म जिसके पास शास्त्र हों, धार्मिक ग्रन्थ हों । यह भी ध्यान रखना होगा कि 'बहुदेववाद' ाब्द जो हिन्दुत्व के लिये अनेक बार प्रयोग किया जाता है – गलत है। हिन्दुत्व में एक परम सत्य है – ओम (□)। इस्लामी मतानुसार इसी ऐक्यवाद के विभिन्न रूपों को हिन्दुत्व में अवतार कहा जाता है। यह केवल संकेतात्मक ह॓ ।

एक मुसलमान दारा शिकोह ने हिन्दू धर्म का अध्ययन किया और कहा कि जिन पुराने शास्त्रों का वर्णन कुरान में है वे ाायद हिन्दूओं के थे। यदि यह सही न भी हो तो कुरान कहती है कि हर रा ट्र के पास एक पैगम्बर को भेजा गया था। यदि यह सही है तो भारत कैसे छूट गया हो सकता है। इसी मौलिक ऐक्यवाद को मुसलमानों को मानना चाहिये कि यह भी ईश्वर/अल्लाह तक पहुंचने का एक मार्ग है। कोइ आश्चर्य नहीं कि ुरू में मुसलमानों ने हिन्दूओं से ाादियां कीं।

फिर समस्या क्या है ??

प्रमुख समस्या तो मैंने पहले ही बताई है – दम्पति में पुरु ा का धर्म ही प्रमुख हो जाता है जैसा कि यहूदी बाइबल की रथ की पुस्तक में कहा गया है। आजकल कुरान के इस्लाम न कि पुरु ा ज्ञानियों के इस्लाम – को यह मानना होगा कि स्त्री और पुरु ा समान हैं । औरतों को भी वैधानिक अधिकार हैं और इनमें ार्तें रखना भी ाामिल है – ऐसे में यह ार्त रखी जा सकती है कि दम्पति के सदस्य एक दूसरे को धर्म बदलने के लिये विवश नहीं करेंगे। यदि यह ार्त मंजूर है तो ऐसे दम्पति को मेरा आशीर्वाद है।

और बच्चे ??

बच्चों के वि ाय में निश्चय ही धर्म की समस्या है। परन्तु एक मुस्लिम ज्ञानी होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कुरान हृदय और मस्ति क के प्रयोग पर बल देती है। यदि

माता पिता अपने आराध्य के वि ाय में पक्के हैं तो बच्चे बड़े होकर स्वयं निर्णय करेंगे।

मैं ऐसे किसी भी समारसेह में भाग ले सकता हूं। मुझ से सम्पर्क के लिय www.forpeoplewhothink.org पर जायें।

डा. खलील मुहम्मद ने ारिया की पढ़ाई मुहम्मद बिन सउद विश्वविद्यालय – रियाध (सुन्नी) से और जैनबिया (दमिश्क) (शिया) से की। इन्होंने मैकगिल विश्वविद्यालय से इस्लामिक कानून में डाक्टरेट की।